



0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. SPL-33, Phase-2nd, Bhicchwal Industrial Area,
Bikaner – 334001

Email: ro-bikaner@gmail.com

www.rpcb.rajasthan.gov.in

RPCB/RO BIKANER/BM-278/ 1447

DATE : 08/01/2021

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri,
Jaipur.

Sub:- Regarding Public Hearing for Environmental Clearance of Mining Project of M/s Raj Minerals, (M.L. No. 07/2002), Near Village- Chani, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.
Ref:- Public Hearing conducted on dated 24.12.2020.

Sir,

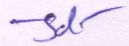
Apropos above the public hearing in the matter of Environment Clearance for the Mining Project of M/s Raj Minerals, (M.L. No. 07/2002), Near Village- Chani, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner was conducted on 24.12.2020 at Gram Panchayat Bhawan Parisar, Chani, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.

The minutes of the public hearing along with CD of videography of Proceedings and photographs are being forwarded in original for examination and further necessary action at the level of State level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) under EIA notification, 2006.

Enclosed:-

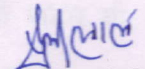
- (i) One set of minutes of the Public Hearing
- (ii) One set of Videography of the proceedings (1 CD)
- (iii) One set of Photographs

Yours Sincerely


(Prema Lal Raigar)
Regional Officer
RSPCB, Bikaner

Copy to following for information & necessary action:-

1. Member Secretary/Group Incharge (Mines), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. Additional District Magistrate (Adm.), Bikaner.
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceedings of public hearing on Board's website.
4. M/s Raj Minerals, G-215, Bichhwal Industrial Area, Bikaner.


Regional Officer

जन-सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स राज मिनरल्स की बीकानेर जिले में निकट ग्राम चानी, तहसील कोलायत में स्थित खनन परियोजना चांदी बॉल क्ले माईन (एम.एल. सं. 7/2002) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.12.2020 को अपराह्न 2.00 बजे से जन सुनवाई स्थल, ग्राम पंचायत भवन परिसर, ग्राम-चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मैसर्स राज मिनरल्स की खनन परियोजना चांदी बॉल क्ले माईन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जिला कलेक्टर महोदय, बीकानेर के पत्र क्रमांक सीबी/विकास/पर्या. जनसुनवाई/2020/4310 दिनांक 18.11.2020 द्वारा निहित की गई दिनांक 24.12.2020 को अपराह्न 2.00 बजे से जनसुनवाई स्थल ग्राम पंचायत भवन परिसर, ग्राम-चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर (राज.) में आयोजित की गई। यह जनसुनवाई राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा एवं श्रीमान ए.एच.गौरी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन), बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपरोक्त जनसुनवाई की विज्ञप्ति राजस्थान पत्रिका में (संलग्नक 'अ') दिनांक 23.11.2020 एवं दैनिक भास्कर में (संलग्नक 'ब') दिनांक 24.11.2020 को प्रकाशित करवाई गई थी तथा जनसामान्य से लिखित आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से जनसुनवाई तक आमंत्रित किए गए।

जनसुनवाई में उपखण्ड अधिकारी कोलायत, श्री प्रदीप चाहर, तहसीलदार कोलायत, श्री हरि सिंह शेखावत, भू अभिलेख निरीक्षक, हल्का पटवारी एवं नामित अधिकारीगण एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक 'स')। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग एवं फोटोग्राफी कराई गई।

खनन परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

मैसर्स राज मिनरल्स की चांदी बॉल क्ले माईन, एम.एल. सं. 7/2002, क्षेत्रफल 83.23 हैक्टेयर, निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर (राज.)

जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रेमलाल रैगर ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया तथा जनसुनवाई के उद्देश्य के बारे में जानकारी देने हेतु "राज मिनरल्स" के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स एन्वायरोग्रीन कंसलटेन्ट्स (इंडिया) प्रा. लि. उदयपुर के प्रतिनिधि को परियोजना की विस्तृत जानकारी एवं परियोजनाओं के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव तथा शमन उपायों के संबंध के बारे में आमजन को प्रोजेक्टर के माध्यम से देने हेतु कहा गया।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

अति. जिला कलेक्टर
प्रशासनी, बीकानेर

इसके पश्चात परियोजना के पर्यावणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स एन्वायरोग्रीन कंसलटेन्ट्स (इंडिया) प्रा. लि. उदयपुर के प्रतिनिधि डॉ नीरज श्रीवास्तव एवं श्री शिव कुमार लखारा ने बॉल क्ले सेंड माईन (एम.एल. सं. 7/2002) परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 83.23 हैक्टेयर है तथा यह खान मिनरल बॉल क्ले के उत्पादन 75,000 टन प्रतिवर्ष के लिए है। इस परियोजना का आधारभूत अध्ययन (Baseline Study) मानसून के बाद दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 तक किया गया। तत्पश्चात पर्यावरणी सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया क्षेत्र, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके अभिकरण के उपयों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन), बीकानेर ने ग्रामवासियों इस से खनन क्षेत्र में के बारे में आक्षेप एवं सुझाव मांगें।

इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि श्री किसनाराम पंवार ने यह अवगत कराया कि माईन्स का उत्पादन कम है और खनन इकाई मैसर्स राज मिनरल्स द्वारा अपने स्तर पर पूर्ण सहयोग करें व गाँव के लोगों की हर छोटी-बड़ी समस्या का निवारण करें। खान में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये एवं सी.एस.आर के तहत भी गांव विकास के कार्य किये जाये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन), बीकानेर ने खान मालिक श्री शुभकरण गुर्जर से इस पर सुझाव मांगा।

श्री शुभकरण गुर्जर, खान मालिक ने आश्वासन दिया कि खनन कार्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता पर रोजगार दिया जायेगा एवं सी.एस.आर के तहत भी गांव विकास के कार्य किये जायेगे इसका पूर्ण आश्वासन दिया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन), बीकानेर द्वारा यह सुझाव दिया गया कि माईन ऑनर्स (बीकानेर डिस्ट्रिक्ट माईन ऑनर्स एसोसिएशन) के द्वारा इस क्षेत्र में आई.टी.आई संस्थान शुरू की जाये जिससे की ग्रामवासियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही चिकित्सा सुविधा विस्तार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण में सहयोग की अपील की। जिस पर परियोजना के प्रतिनिधि ने सकारात्मक सहमति जाहीर की है।

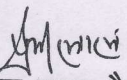
बीकानेर डिस्ट्रिक्ट माईन ऑनर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि डी.एफ.एफ.टी. फंड का उपयोग ग्राम के विकास के लिए सुचारु रूप से किया जाये

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन), बीकानेर ने सुझाया कि सी.एस.आर फंड का उपयोग करके ग्राम के विकास में योगदान करें।

खनन परियोजना मैसर्स राज मिनरल्स के मालिक श्री शुभकरण गुर्जर ने समस्त पदाधिकारियों एवं ग्रामवासियों का धन्यवाद प्रेषित किया तथा साथ ही आश्वासन दिया की खान प्रशासन की तरफ से जनहित कार्य हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा।

अंत में ए.एच. गौरी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन), बीकानेर एवं श्री प्रेमा लाल रैगर, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।


(प्रेमा लाल रैगर)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
बीकानेर (राजस्थान)


(ए.एच. गौरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन),
प्रतिनिधि, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट,
बीकानेर

चज स्टैस का पटर स्पशाल जाफर

जयपुर, वैशाली नगर व निर्माण नगर

चानी, तहसील-कोलायत, जिला बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4. पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 06. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 24.12.2020 को घोषित 2.00 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर चानी, तहसील श्रीकोलायत, जिला बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन के तुरंत बाद जनसुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रमोदल रंगर) क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर
(राजस्थान)

दंफा परियोजनाएं: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम

पटाल दंफा

इस्तेमाल के बाद बंद कर फरार हो जाते हैं। कई मामलों में विभाग के अधिकारी मास्टरमाइंड के बारे में सब जानते हुए भी कागज पर सबूत नहीं दिखाने के कारण कुछ नहीं कर पाते।

किया। जीएसटी कमिशनरों को 500 से अधिक कंपनियों की जानकारी दी गई है।

दूसरे के कागजों पर फर्जी कंपनी: बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में मास्टरमाइंड लोगों को रुपयों का लालच देकर उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर फर्जी कंपनियां शुरू

कर देते हैं। इसके बाद बिना किसी खरीद-बिक्री के बिल बनाकर 2 प्रतिशत कमीशन पर बेच देते हैं। बिल खरीदने वाली कंपनी सरकार को अपने जीएसटी रिटर्न में दर्शाती है कि उसने इतने लाख का माल खरीदकर जीएसटी चुकाया है, इसलिए उसे रिफंड किया जाए।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक- आब/बन्दो/2020-21/6129

दिनांक-21/11/2020

शुद्धिपत्र

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक आब/बन्दो/2020-21/6118 दिनांक 21.11.2020 में देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दुकान समूहों की विवरण तालिका के क्रम संख्या 2 पर नाम दुकान समूह वाई न. 39 को देशी मदिरा समूह वाई संख्या 39, नगर परिषद बांसवाड़ा (सम्मिलित वाई न. 32 व 35 तथा 38 से 52 तक) पढ़ा जावे।

शेष अन्य पूर्ववत ही रहेगा।

(प्रकाश चन्द्र रंगर) जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाड़ा

पीटीए: भारत-चिली में बढ़ेगा कारोबार

नई दिल्ली @ पत्रिका. भारत और दक्षिण अमरीकी देश चिली के बीच मौजूदा प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (पीटीए) के विस्तार के लिए चल रही बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। दोनों देश इस ट्रेड एग्रीमेंट में 400 से ज्यादा उत्पादों को शामिल कर सकते हैं। इस पैकेट का मकसद दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है। भारत और चिली के बीच 8 मार्च, 2006 को पीटीए हुआ था और यह अगस्त, 2007 से लागू हुआ था। 2016 में इस एग्रीमेंट में और उत्पादों को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया गया था। मौजूदा समय में इस पैकेट में 2000 से ज्यादा उत्पाद शामिल हैं।

गोवा खनन बहाल करे: सीआइआइ

पणजी @ पत्रिका. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए गोवा में खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने पर जोर दिया है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

क्रमांक: राजिम/बीका/एक/बीका/एक-278/1140 दिनांक 20.11.2020

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मेसर्स राज मिन्हास ने खनन पट्टा संख्या 07/2002

क्षेत्रफल 83.23 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 75000 टीपीए

निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में

बॉल कले, खनन की पर्यावरण स्वीकृति बनाम प्रस्ताव राज्य

स्तरीय पर्यावरणीय अधिभाव आकलन प्रधिकरण,

राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

2. और चूंकि मेसर्स राज मिन्हास को वन एवं पर्यावरण

मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना

दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं

के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

हेतु जन सुनवाई को आवश्यक है।

3. और चूंकि उपरोक्त लौह धातु के राजस्थान राज्य प्रदूषण

नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति

हेतु जन सुनवाई के लिए आवश्यक है।

4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय,

भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक

14.09.2006 के अनुसार वन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस

आशय की सूचना जारी कर 30 दिनों का नोटिस दिया जाना

आवश्यक है।

5. उक्त परियोजना से सम्बंधित स्थित अतिरिक्त (पर्यावरण

प्रभाव आकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नलिखित कार्यों पर

अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

01. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला पर्यावरण

कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग क्षेत्र, बीकानेर। 04.

पंचायत समिति कार्यालय कोलायत, बीकानेर। 05. तहसील

कार्यालय, कोलायत, बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कोलायत,

चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर। 07. क्षेत्रीय

कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर।

08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय,

जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण

मण्डल, मुख्यालय, 4. पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र,

झालाना इगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन

एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

06. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन

सुनवाई दिनांक 24.12.2020 को घोषित 2.00 बजे ग्राम

पंचायत भवन परिसर चानी, तहसील श्रीकोलायत, जिला

बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जनसुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रमोदल रंगर) क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर
(राजस्थान)

इंडियन ऑयल

विपणन प्रभाग-उत्तरी क्षेत्र

प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु अधिसूचना

इंडियन ऑयल, विपणन प्रभाग, उत्तरी क्षेत्र, राष्ट्र के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अपनी इकाइयों हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 436 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

आयु, पात्रता के योग्यता मानदंड और वजीफा, छूट, रियायतों, आरक्षण आदि के विवरण हेतु विज्ञापन की सम्पूर्ण जानकारी हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट www.iocl.com या <https://www.iocl.com/PeopleCareers/Apprenticeships.aspx> पर देखी जा सकती है।

कैसे आवेदन करें : निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार 23 नवंबर, 2020 को 08:00 बजे से उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 दिसम्बर, 2020 है।

इस मामले में कोई भी अगली अधिसूचना/संशोधन के बारे में केवल हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट www.iocl.com पर सूचित किया जाएगा।

नोट: प्रशिक्षुओं को नियमित रोजगार देने का कॉर्पोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। प्रशिक्षु को इस प्रशिक्षण के आधार पर किसी भी समय कॉर्पोरेशन से नियमित रोजगार के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा। यह प्रशिक्षण प्रशिक्षु को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंडियन ऑयल पर कोई भी उत्तरदायित्व नहीं बनाएगा।

विज्ञापन सं आईओसीएल/एमकेटीजी/एनआर/एपीपीआर/2020-21/1

खुलावे
बैट 11 मि
गृहलेख
प्रमोवाह,
छुटकारा, प
96753263
शक्ति चम
Atoz सम
(गोल्ड
कारोबार, गृह
सौजन्य दुस्मन
फोन करें) 87
फाइ
खर्चा
Dhanl
Reg U6519/
ग्रेट्टी, पर्सनल,
24 घंटे में घर
वर्किक 40% छू
इट एवेंट आ
7376591521

गॉर्थो
es, Spray & Ointment

एक बाम अनेक काम

सिर दर्द

जुकाम

कमर दर्द

न कोटा फरार है। अग्रवाल को धमकाकर 50 लाख रुपए मांगने की साजिश प्रेम सिंह ने रची थी, जिसमें उसके साथ सभी शामिल हुए। प्रेमसिंह को मोबाइल चुराने पर 5 माह पहले नौकरी से निकाला गया था।

सदस्य को चुनाव लड़ रहा है। लालता का आरोप है कि वह मतदान के बाद मलसीसर से जा रही थी। रास्ते में विधायक रीटा ने उसकी गाड़ी को रुकवा कर धमकाया। इस संबंध में विधायक रीटा चौधरी का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं।

छात्रवृत्ति एवं आय श्रेणी में संशोधन करने का निर्णय लिया है। गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राई छात्रवृत्ति के लिए पा की वर्तमान परिवारिक आय सी लाख- 1.8 लाख रुपए वार्षिक संशोधित कर 3 लाख - 5 लाख वार्षिक कर दिया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर प्रेस-विज्ञप्ति

प.फ.7(24) परीक्षा 'क' राज्य - अपी/2017-18/1244 दिनांक: 23.11

ऑनलाइन सेवा प्राथमिकता क्रम के संबंध में

आरएसएस परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत आयोग के शुद्धि पत्र संख्या 07/21 दिनांक 23.11.2020 के क्रम में उक्त परीक्षा के मुख्य परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पूर्व में प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.08.2020 व 01.10.20 ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरे गये हैं, को सूचित जाता है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.08.2020 द्वारा रा अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिक पदों को राज्य सेवा में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप नये सिरे से ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम भराया जा रहे हैं जिसके क्रम में अभ्यर्थी निम्नांकित दिशा-निर्देश पालना करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें :-

1. ऑनलाइन सेवा प्राथमिकता क्रम:- उक्त परीक्षा के अन्तर्गत नॉन-ट पदों का नवीनतम वार्षिक चार्ट दिनांक 23.11.2020 को तथा टीएस हेतु दिनांक 04.05.2018 को विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर जारी गया है। मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में ऑ सेवा प्राथमिकता क्रम भरे हैं, वे सभी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <http://rpssc.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अथवा <https://sso.rajjasthan.gov.in> पर लॉगिन कर तथा रिक्रूटमेंट पोर्टल अंतर्गत Detailed Form cum Scrutiny लिंक को क्लिक कर उपलब्ध Preference लिंक से सेवा प्राथमिकता क्रम आनलाईन करें। ऑफलाईन गये सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

- 1.1. सेवा प्राथमिकता क्रम आनलाईन भरने के लिए उक्त लिंक दि 26.11.2020 से 02.12.2020 (रात्रि 12.00) तक खुला है। पश्चात कोई अवसर देय नहीं होगा।
- 1.2. जिन अभ्यर्थियों ने केवल नॉन-टीएसपी विज्ञापन दिनांक 02.04.2018 के आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी केवल नॉन टीएसपी के प्राथमिकता क्रम भरें जिन अभ्यर्थियों ने केवल टीएसपी विज्ञापन दिनांक 04.05.2018 के आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी केवल टीएसपी के सेवा प्राथमिकता क्रम भरें।
- 1.3. जिन अभ्यर्थियों ने दोनों विज्ञापनों के तहत आवेदन किया है, वे नॉन-टीएसपी और टीएसपी (दोनों) के सेवा प्राथमिकता क्रम भरें।
- 1.4. जिन अभ्यर्थियों ने नॉन-टीएसपी विज्ञापन के तहत एनजीई श्रेणी आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी एनजीई श्रेणी के भी सेवा प्राथमिकता क्रम भरें।
- 1.5. सेवा प्राथमिकता क्रम केवल ऑनलाईन ही भरे जाने हैं। अभ्यर्थी प्राथमिकता क्रम को सबमिट करने से पूर्व भरी गई सेवा प्राथमिकता अ ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। सेवा प्राथमिकता क्रम दर्ज (Submit) के उपरान्त कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।

2. सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाईन भरने के उपरान्त ही सफा कर में प्रवेश जावेगा।

डीआईपीआर/सी/...../2020

(शुभम् चौधरी) सा

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर क्रमांक: गप्रम/बीका/तक/बीका/बीएन-259/ दिनांक

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मैसर्स हरिण कलेज ने खनन पट्टा 08/1992 क्षेत्रफल 75.13 हैक्टर, उत्पादन क्षमता 1,50,000 टी पी ए, निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में ब्लास्ट ब्ले, खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्राव, आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

2. और चूंकि मैसर्स हरिण कलेज को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।

3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।

4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित सक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

01. जिला कलेक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला परियोजना कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 04. पंचायत समिति कार्यालय कोलायत, बीकानेर। 05. तहसील कार्यालय, कोलायत, बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कार्यालय, चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

06. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 24.12.2020 को दोपहर 2.00 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर चानी, तहसील श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर में आयोजित की जाएगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से पदद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जनसुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रेमलाल रात) क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर क्रमांक: गप्रम/बीका/तक/बीका/बीएन-278/ दिनांक

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मैसर्स राज मिनरल्स ने खनन पट्टा संख्या 07/2002 क्षेत्रफल 82.23 हैक्टर, उत्पादन क्षमता 75000 टी पी ए, निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में ब्लास्ट ब्ले, खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्राव, आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

2. और चूंकि मैसर्स राज मिनरल्स को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।

3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।

4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित सक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

01. जिला कलेक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला परियोजना कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 04. पंचायत समिति कार्यालय कोलायत, बीकानेर। 05. तहसील कार्यालय, कोलायत, बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कार्यालय, चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

06. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 24.12.2020 को दोपहर 2.00 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर चानी, तहसील श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर में आयोजित की जाएगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से पदद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जनसुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रेमलाल रात) क्षेत्रीय अधिकारी

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स राज मिनरल्स (खनन पट्टा संख्या 07/2002, क्षेत्रफल 83.23 हैक्टेयर), की निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में माईनिंग परियोजना (क्षमता बॉल क्ले, 75,000 टी.पी. ए), मैसर्स हरिश क्लेज (खनन पट्टा संख्या 08/1992, क्षेत्रफल 75.13 हैक्टेयर), की निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में माईनिंग परियोजना (क्षमता व्हाइट क्ले 1,50,000 टी.पी.ए) एवं मैसर्स बीकानेर क्लेज एण्ड केमिकल्स (खनन पट्टा संख्या 15/08, क्षेत्रफल 31.8494 हैक्टेयर), की निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में माईनिंग परियोजना (क्षमता बॉल क्ले, फायर क्ले एवं सिलिका सेड 3,96,770 टी.पी.ए), की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 24.12.2020 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन परिसर चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर
दिनांक:- 24.12.2020 समय दोपहर 2.00 बजे ।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय	हस्ताक्षर
1.	A.H. Gauri	ADM (A) BKN,	11
2.	प्रमोद लाल	डिप्टी कमिश्नर, राप्रनिम, बीकानेर	प्रमोद लाल
3.	Pruddeep K	SDM Kolayat	Pruddeep K
4.	Dinesh Singh	BO Kolayat	Dinesh Singh
5.	Han-Sp. Sharma	TDR - Kiyat	Han-Sp. Sharma
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

जन सुनवाई हेतु नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स राज मिनरल्स (खनन पट्टा संख्या 07/2002, क्षेत्रफल 83.23 हैक्टेयर), की निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में माईनिंग परियोजना (क्षमता बॉल क्ले, 75,000 टी.पी.ए), मैसर्स हरिश क्लेज (खनन पट्टा संख्या 08/1992, क्षेत्रफल 75.13 हैक्टेयर), की निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में माईनिंग परियोजना (क्षमता व्हाइट क्ले 1,50,000 टी.पी.ए) एवं मैसर्स बीकानेर क्लेज एण्ड केमिकल्स (खनन पट्टा संख्या 15/08, क्षेत्रफल 31.8494 हैक्टेयर), की निकट ग्राम चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में माईनिंग परियोजना (क्षमता बॉल क्ले, फायर क्ले एवं सिलिका सेड 3,96,770 टी.पी.ए), की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 24.12.2020 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन परिसर चानी, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर

दिनांक:- 24.12.2020 समय दोपहर 2.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुराराम	चानी	सुराराम
2.	ओमप्रकाश	चानी	ओमप्रकाश
3.	मनवराज	चानी	मनवराज
4.	भविषी	चानी	भविषी
5.	212512121	चानी	
6.	इनाराम	चानी	
7.	पुष्पराज	चानी	
8.	ओमप्रकाश	चानी	
9.	मनमल्ल	चानी	मनमल्ल
10.	जोगाराम	चानी	
11.	212121	चानी	Talwar
12.	डी कृष्ण	चानी	

13.	श्रीनारायण	chander	श्री
14.	श्रीधर	chander	श्री
15.	पद्मराज	chander	पद्मराज
16.	दिलीप	chander	दिलीप
17.	इमराज	chander	इमराज
18.	राजराज	chander	राजराज
19.	कोकिल	chander	कोकिल
20.	मुकुंद कुमार	chander	मुकुंद
21.	मुकुंद कुमार कोकिल	chander	कोकिल
22.	धर्मचंद	chander	धर्मचंद
23.	नारायण	chander	नारायण
24.	मुकुंद कुमार	चंदी	मुकुंद
25.	पद्मपुत्रा	चंदी	पद्मपुत्रा
26.	श्रीकेश	चंदी	श्रीकेश
27.	नारायण	चंदी	नारायण
28.	श्रीधर	चंदी	श्रीधर
29.	धर्मचंद	चंदी	धर्मचंद
30.	नारायण	चंदी	नारायण
31.	नारायण	चंदी	नारायण
32.	श्रीधर	चंदी	श्रीधर
33.	नारायण	चंदी	नारायण
34.	सुभाष	चंदी	सुभाष
35.	श्रीधर	चंदी	श्रीधर
36.	श्रीधर	चंदी	श्रीधर

36.	27/5/21	Chavali	27/5/21
37.	4/5/21	चवली	Bingl
38.	5/2/21	चवली	5/2/21
39.	DR. NEERAJ SRIVASTAVA	EGCIPL, Udaipur	
40.	SHIV K. LAKHARA	EGCIPL, Udaipur	Shiv
41.	MAYANK BHAWAR	EGCIPL, Udaipur	Mayank
42.	MEHUL PRAJAPAT	EGCIPL, Udaipur	Mehul
43.	Ashut Kumar	UMT, Udaipur	80
44.	ASHISH CHANDNA	Bitcaree clays & Chemicals	ASHISH
45.	CHANCHAL SEVALIYA	UMT, Udaipur	Chanchal
46.	Shashank Doshi	Harish Clay Chandra	Shashank
47.	Shivendra Singh	Shivendra Singh पर्वती चवली	Shiv
48.	शिवेंद्र सिंह		शिवेंद्र सिंह
49.	27/5/21		27/5/21
50.	महाराष्ट्र	इंदूर काठियावाड़	महाराष्ट्र
51.	इंदूर काठियावाड़		इंदूर काठियावाड़
52.	डॉ. म. प्रकाश	चवली	डॉ. म. प्रकाश
53.	डॉ. म. प्रकाश		डॉ. म. प्रकाश
54.	डॉ. म. प्रकाश		डॉ. म. प्रकाश
55.	डॉ. म. प्रकाश	Harish clay, Bikaner (P.P.)	Harish
56.	डॉ. म. प्रकाश	M/S Raj Minerals	Raj
57.			
58.			